कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / प्रार / नियम / विविध / 2025 दिनांक :– as e sign

समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, मंडल परिक्षेत्र
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रारम्भिक
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
पंजीयक, शिक्षा विभागीय परिक्षाएँ
समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

विषय : समस्त सेवारत राज्य कार्मिकों के समय–समय पर किये गये वेतन निधारणों की पुनः जांच के संबध में ।

प्रसंग : विशिष्ट शासन सचिव, वित्त(बजट), वित्त विभाग(नियम अनुभाग) का परिपत्र क्रमांक प.9(14) वित्त / नियम / 2005 पार्ट जयपुर, दिनांक : 05.05.2026

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग के प्रासंगिक परिपत्र के अनुक्रमण में निर्देशित किया जाता है आपके कार्यालय एवं कार्यालय के क्षेत्राधीन समस्त कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के समय–समय पर हुए पुनरीक्षित वेतनमान, पदोन्नति, चयनित वेतनमान, ए.सी.पी. एवं एम.ए.सी.पी. आदि के अन्तर्गत किए गए वेतन निर्धारणों की सेवा अभिलेखों के आधार पर नियमों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से समीक्षा व जाँच किया जाना सुनिश्चित करें। यदि कहीं त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण अनियमित भुगतान हो रहा है, तो उसे तत्काल संशोधित करावें ताकि अधिक भुगतान की स्थिति को रोका जा सके। इस क्रम में, माह जुलाई 2026 के वेतन बिलों के साथ यह प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है कि संबंधित कार्मिकों के वेतन निर्धारण की पूर्ण जाँच नियमानुसार कर ली गई है। इसके अभाव में कार्मिक का वेतन भुगतान संभव नहीं हो पायेगा।

वेतन निर्धारण की पुनरीक्षण प्रक्रिया एवं तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात, यदि भविष्य में नियम विरुद्ध अथवा अनियमित भुगतान का कोई पूर्ववर्ती प्रकरण संज्ञान में आता है, तो उक्त जाँच में शिथिलता या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी । साथ ही, ऐसे प्रकरणों में हुए अधिक भुगतान की राशि की वसूली का उत्तरदायित्व भी संबंधित दोषी कार्मिकों का होगा।

वित्त (नियम) विभाग के प्रासंगिक परिपत्र की अनुपालना में, कार्मिकों के समय–समय पर हुए पुनरीक्षित वेतनमान निर्धारण, पदोन्नति, चयन ग्रेड, एसीपी एवं एमएसीपी संबंधी वेतन निर्धारण प्रकरणों की गहनता से जाँच हेतु आपके कार्यालयों पर निम्नानुसार जाँच दलों का गठन किया जाये :–

1	अध्यक्ष	सहायक निदेशक / अति. जिला शिक्षा अधिकारी / अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
2.	लेखा सदस्य	वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी–I / सहायक लेखाधिकारी–II / कनिष्ठ लेखाकार
3.	सदस्य सचिव	कार्यालय का संस्थापन प्रभारी लिपिक
4.	सदस्य	कार्य की आवश्यकतानुसार कार्मिक

उक्त गठित दल निर्धारित जाँच कार्य दिनांक 10.07.2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे । मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में सहायक लेखाधिकारी–II / कनिष्ठ लेखाकार का पद रिक्त चल रहा है, उन कार्यालयों के अधीन कार्मिकों के वेतन निर्धारण की जांच उच्चतर कार्यालय के स्तर पर निर्देशानुसार (यथा नजदीकी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला के जिला शिक्षा

अधिकारी, मुख्यालय प्रारम्भिक कार्यालय/संबंधित संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा कार्यालय में पदस्थापित लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी–I/सहायक लेखाधिकारी–II/कनिष्ठ लेखाकार द्वारा) की जायेगी । कार्मिकों के सेवाभिलेखों की जांच उपरान्त संबंधित कार्यालय का वरिष्ठतम लेखाकर्मी, कार्मिक की सेवापुस्तिका में निम्न प्रमाण–पत्र आवश्यक रूप से अंकित करे –

वेतन निर्धारण सत्यापन प्रमाण–पत्र का प्रारूप

वित्त(नियम)विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(14) वित्त/नियम/2005 पार्ट जयपुर, दिनांक : 05.05.2026 अनुक्रमण में श्री/श्रीमती/सुश्री......................................पद के समस्त वेतन निर्धारणों (पुनरीक्षित वेतनमान/ पदोन्नति/एसीपी/एमएसीपी आदि) की सेवा अभिलेखों के आधार पर जांच की गई, जो नियमानुसार सही पाये गये हैं ।

समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, मंडल परिक्षेत्र अपने कार्यालय अधिकार क्षेत्र की प्रगति रिपोर्ट दिनांक 05.06.2026, 22.06.2026 तथा दिनांक 06.07.2026 को इस कार्यालय को निम्न प्रारूप में अवश्य प्रेषित करेंगे –

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों की प्रगति रिपोर्ट का प्रारूप

कार्यालयों की संख्या जिनके कार्मिकों के सेवा अभिलेखों की जांच की जानी है	कार्मिकों की संख्या जिनके अभिलेखों की जांच की जानी है	कार्मिकों की संख्या जिनके अभिलेखों की जांच की जा चुकी है ।	शेष कार्मिक जिनके अभिलेखों की जांच की जानी है

संलग्न : प्रासंगिक पत्र की प्रति ।

(सीताराम जाट)
I.A.S.
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज.(प्रा.शि.),
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/नियम/विविध/ 2025 दिनांक :– as e sign

प्रतिलिपी : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सहायक, श्रीमान निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
2. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
3. ऐनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally Signed by SITA RAM JAT
Designation : Director
Date :26-05-2026 03:54:59

RajKaj Ref No.: 22459441